राजस्थान सरकार

# निदेशालय, संस्कृत शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

डॉ. राधाकृष्णन शिक्षा संकुल, द्वितीय तल, जे.एल.एन.मार्ग, जयपुर
Email: director.sanskrit@gamil.com

क्रमांकः– निसंशि/भर्ती अनुभाग/अध्यापक/अर्थना–2016/ 372 दिनांकः 07/03/2018

**संशोधित विज्ञप्ति**

संस्कृत शिक्षा विभाग द्वारा अध्यापक लेवल द्वितीय (कक्षा 6–8) विषय गणित–विज्ञान, अंग्रेजी (ग्रेड–III) सीधी भर्ती 2017 के क्रम में विज्ञापन संख्या 02/2017–18 दिनांक 05.02.2018 द्वारा गैर अनुसूचित क्षेत्र (नॉन–टीएसपी) एवं अनुसूचित क्षेत्र (टीएसपी) के लिए अध्यापक लेवल द्वितीय गणित–विज्ञान,अंग्रेजी पदों पर भर्ती हेतु विज्ञप्ति जारी कर दिनांक 08.03.2018 तक आवेदन पत्र आमंत्रित किए गए थे।

राजस्थान सरकार कार्मिक (क–ग्रुप–2) विभाग की अधिसूचना सं. एफ.7(2)डीओपी/ ए–II/84 पार्ट दिनांक 06.03.2018 अनुसार आयु सीमा में विद्यमान अभिव्यक्ति "35 वर्ष" के स्थान पर अभिव्यक्ति "40 वर्ष" प्रतिस्थापित की जायेगी। उक्त अधिसूचना के अनुसरण में विज्ञापन के **"बिन्दु संख्या 7. आयु सीमा"** में निम्नानुसार संशोधन किया जाता है :–

राजस्थान संस्कृत शिक्षा राज्य एवं अधीनस्थ सेवा (विद्यालय शाखा) नियम,2015 के नियम 15 के अनुसार एवं राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी निर्देशानुसार निर्धारित आयु –

**आयु** :–आवेदक 1 जुलाई, 2018 को अध्यापक पद के लिए–न्यूनतम 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुका हो और अधिकतम 40 वर्ष का नहीं हुआ हो।

(i) उपरोक्त उल्लेखित उपरी आयु सीमा को –

(क) अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, पिछडे वर्ग, मोर बैकवर्ड क्लास के पुरूष अभ्यर्थियों के मामले में 5 वर्ष तक

(ख) सामान्य प्रवर्ग और आर्थिक रूप से पिछडे वर्गों की महिला अभ्यिर्थियों के मामले में 5 वर्ष तक

(ग) अनुसूचित जातियो, अनुसूचित जनजातियों, और पिछडे वर्ग, मोर बैकवर्ड क्लास की महिला अभ्यर्थियों के मामले में 10 वर्ष तक शिथिल किया जायेगा।

(घ) भूतपूर्व सैनिकों के लिए उपरी आयु सीमा 50 वर्ष होगी।

(ड.) विधवाओं और विवाह–विच्छिन महिलाओं के मामलों में अधिवार्षिकी आयु प्राप्ति तक कोई आयु सीमा नहीं होगी।

**स्पष्टीकरण** – विधवा के मामले में उसे सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रदत्त अपने पति की मृत्यु का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा और विवाह–विच्छिन होने के मामले में नियमानुसार तलाक का सबूत देना होगा।

(च) राजस्थान विशेष योग्यजन व्यक्ति (समान अवसर अधिकारों का संरक्षण एवं पूर्ण भागीदारी) नियम, 2011 के नियमानुसार इसके प्रावधानों के अनुसार सामान्य वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग/मोर बैकवर्ड क्लास तथा एससी/एसटी के विशेष योग्य जन अभ्यर्थियों को उपरी आयु सीमा में क्रमशः 10, 13 व 15 वर्ष की छूट देय है।

(ii) उपरिवर्णित उपरी आयु सीमा ऐसे भूतपूर्व कैदी के मामले में लागू नहीं होगी, जो उसकी दोषसिद्धि के पूर्व सरकार के अधीन किसी पद पर अधिष्ठायी तौर पर सेवा कर चुका था और नियमों के अधीन नियुक्ति का पात्र था।

(iii) ऐसे भूतपूर्व कैदी के मामले में, उपरिवर्णित उपरी आयु सीमा को, उसके द्वारा भुक्त कारावास की अवधि के बराबर की कालावधि तक शिथिल किया जायेगा जो दोषसिद्धि के पूर्व अधिकायु का नहीं था और नियमों के अधीन नियुक्ति का पात्र था।

(iv) सेवा में के किसी पद पर अस्थायी रूप से नियुक्त व्यक्तियों को, यदि वे प्रारम्भिक नियुक्ति के समय आयु सीमा में थे, आयु सीमा में ही समझा जायेगा, चाहे उन्होंने सीधी भर्ती के लिए आयोग या, यथा स्थिति, नियुक्ति प्राधिकारी के समक्ष उपस्थित होने के समय उपरी आयु सीमा पार कर ली हो और यदि वे अपनी प्रारम्भिक नियुक्ति के समय इस प्रकार पात्र थे तो उन्हें दो अवसर तक दिये जायेंगे।

(v) कैडेट अनुदेशकों के मामले में उपरिवर्णित उपरी आयु सीमा को उनके द्वारा, राष्ट्रीय कैडेट कोर में की गयी सेवा के बराबर की कालावधि तक शिथिल किया जायेगा यदि पारिणामिक आयु विहित अधिकतम आयु सीमा से तीन वर्ष से अधिक न हो तो ऐसे अभ्यर्थी को विहित आयु सीमा में समझा जायेगा।

(vi) निर्मुक्त आपात कमीशन प्राप्त अधिकारियों को एवं लघु सेवा कमीशन प्राप्त अधिकारियों को, सेना से निर्मुक्त होने के पश्चात् जब वे सीधी भर्ती के लिए आयोग के समक्ष उपस्थित हो, आयु सीमा में समझा जायेगा चाहे उन्होंने आयु सीमा पार कर ली हो यदि वे सेना में कमीशन ग्रहण करने के समय आयु सीमा की दृष्टि से पात्र थे।

(vii) 1971 के भारत–पाक युद्ध के दौरान पाकिस्तान से संप्रत्यावर्तित व्यक्तियों के मामले में कोई आयु सीमा नहीं होगी।

(viii) राज्य पंचायत समिति तथा जिला परिषद् और राज्य पब्लिक सेक्टर उपक्रम/ निगम के कार्यकलापों के संबंध में अधिष्ठायी हैसियत से सेवा कर रहे व्यक्तियों के संबंध में उपरी आयु सीमा 40 वर्ष होगी, और

(ix) यदि कोई अभ्यर्थी सीधी भर्ती के लिए, ऐसे किसी वर्ष में जिसमें ऐसी कोई भर्ती नहीं की गयी थी, अपनी आयु के संबंध में हकदार था तो उसे ठीक आगामी भर्ती के लिए पात्र समझा जायेगा यदि वह 3 वर्ष से अधिक के द्वारा अधिकायु का /की नहीं हुआ /हुई है।

नोटः–उपरोक्त पैरा के प्रावधान i से ix तक पर वर्णित आयु सीमा में छूट के प्रावधान असंचयी (Non-Cumulative) है अर्थात् अभ्यर्थियों को उपरोक्त वर्णित किसी भी एक प्रावधान का अधिकतम् आयु सीमा में छूट का लाभ दिया जायेगा। 1 से अधिक प्रावधानों को जोड़कर छूट का लाभ नहीं दिया जायेगा।

(विमल कुमार जैन)
IAS
निदेशक
संस्कृत शिक्षा, राजस्थान, जयपुर